न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, RAS.

पत्रावली संख्या : 81/25 (विविध प्रार्थना पत्र)

जीसीएमएस नम्बर : 2025/280

उनवान

1. गंगाराम पुत्र पेमा जी जाति कुमावत, उम्र वयस्क, निवासी खरताणा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०) मृतक के बजाय

1/1 कैलाश पुत्र गंगाराम कुमावत निवासी खरताणा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)

1/2 श्रीमती सुखी पुत्री गंगाराम कुमावत निवासी खरताणा, तहसील मावली, जिला उदयपुर

1/3 श्रीमती रेखा पुत्री गंगाराम कुमावत निवासी खरताणा, तहसील मावली, जिला उदयपुर

1/4 श्रीमती अनु पुत्री गंगाराम कुमावत निवासी खरताणा, तहसील मावली, जिला उदयपुर

1/5 श्रीमती चांदीबाई पत्नी गंगाराम कुमावत निवासी खरताणा, तहसील मावली, जिला उदयपुर

.......प्रार्थी

बनाम

1. अर्जुनलाल पुत्र हरिराम जी जाति तेली, उम्र वयस्क, निवासी खरताणा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
2. कांताबाई पुत्री हरिराम जी जाति तेली, उम्र वयस्क, निवासी खरताणा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
3. किरण पुत्री भुरालाल जी जाति तेली. उम्र वयस्क, निवासी खरताणा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
4. नाथुलाल पुत्र देवकिशन जी जाति तेली, उम्र वयस्क, निवासी खरताणा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
5. नितेश पुत्र भुरालाल जी जाति तेली, उम्र वयस्क, निवासी खरताणा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
6. मनोहरीबाई पुत्री हरिराम जी जाति तेली, उम्र वयस्क, निवासी खरताणा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
7. मोहनीबाई पत्नी स्व० भुरालाल जी जाति तेली, उम्र वयस्क, निवासी खरताणा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
8. राहूल पुत्र भुरालाल जी जाति तेली, उम्र वयस्क, निवासी खरताणा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
9. लक्ष्मीबाई पुत्री हरिराम जी जाति तेली, उम्र वयस्क, निवासी खरताणा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
10. देवीलाल दत्तक पुत्र हीरा जी जाति तेली, उम्र वयस्क, निवासी खरताणा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
11. लालुराम पुत्र भुरालाल जी जाति कुमावत, उम्र वयस्क, निवासी खरताणा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
12. गोरधनलाल पुत्र हुक्मीचन्द जी जाति कुमावत, उम्र वयस्क निवासी खरताणा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
13. टमूबाई पत्नी हुवमीचन्द जी जाति कुमावत, उम्र वयस्क, निवासी खरताणा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
14. रामलाल पुत्र हुक्मीचन्द जी जाति कुमावत, उम्र वयस्क, निवासी खरताणा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०) मृतक के बजाय

14/1 रतनलाल पिता रामलाल कुमावत निवासी खरताणा, तहसील मावली, जिला उदयपुर

14/2 श्रीमती अन्सी पत्नी रामलाल कुमावत निवासी खरताणा, तहसील मावली, जिला उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:29:47 IST
Reason: SelfAttested

14/3 काजल पुत्री रामलाल पत्नी दिनेश निवासी आकोदड़ा तहसील मावली जिला उदयपुर।
14/4 श्रीमती उदी पुत्री रामलाल पत्नी किशनलाल निवासी आकोदड़ा तहसील मावली जिला उदयपुर।
15. शांतिबाई पुत्री हुक्मीचन्द जी जाति कुमावत, उम्र वयस्क, निवासी खरताणा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
16. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर (राज०)

..............विपक्षीगण

उपस्थित 1. श्री रोशनडांगी, अधिवक्ता प्रार्थीगण।

2. श्री दीपक कुमार बड़गुर्जर, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 11 ।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम–1956
निर्णय

दिनांक :–27.11.2025

1. प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि मौजा खरताणा, पटवार हल्का खरताणा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०) के आराजी नम्बर 1540 रकबा 0.1457 हैक्टेयर भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड में मुझ प्रार्थी के नाम पर स्वतन्त्र रूप से खातेदारी हक से अंकित हैं। मुझ प्रार्थी की भूमि के चारो और विपक्षीगण की भूमि है।
2. यह कि मुझ प्रार्थी की उक्त वर्णित कृषि भूमि के चारों दिशाओ की सीमा पर वर्तमान में कांटो/थौहर की बाड़ ही की हुई हैं जिससे मेरी जमीन के आसपास घुमने वाले आवारा मवेशी हमारी जमीन में घुस जाते है और फसलों को नष्ट कर नुकसान पहुंचाते है एवं पड़ौसी खातेदारान विपक्षी संख्या 1 से 15 से भी सीमा को लेकर हर समय विवाद होने की सम्भावनाएं बनी रहती हैं। इसलिये मैं प्रार्थी अपनी भूमि की सुरक्षा के लिये उक्त वर्णित कृषि भूमि के चारो तरफ पक्की बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कराना चाहता हूँ। इसलिये मुझ प्रार्थी को मेरी कृषि भूमि चारों दिशाओ की सीमा की पत्थरगढ़ी करा सीमाकंन कराना आवश्यक है ताकि भविष्य में मेरी भूमि की सीमा को लेकर विपक्षीगण से किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न नही हो।
3. यह कि मुझ प्रार्थी ने उक्त वर्णित कृषि भूमि की विधिवत रूप से सीमा जानकारी कराये जाने हेतु दिनांक 16.5.25 को तहसीलदार मावली के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर तहसीलदार मावली द्वारा सीमा जानकारी हेतु पटवारी को निर्देशित किया गया। तहसीलदार मावली के आदेशानुसार दिनांक 1.6.5.25 को पटवारी द्वारा मौके पर पहुँचकर सीमा जानकारी की कार्यवाही प्रारम्भ की किन्तु मौके पर विवाद होने के कारण पटवारी द्वारा मौके पर सीमाज्ञान नही कराया जा सका। पटवारीजी द्वारा सीमाज्ञान की कार्यवाही में उक्त आशय की रिपोर्ट करते हुए मुझ प्रार्थी को मेरी कृषि भूमि की सीमा की न्यायालय के जरिए पत्थरगढ़ी कराने हेतु हिदायत दी गई। इसलिये मुझ प्रार्थी की उक्त कृषि भूमि की सभी दिशाओं की सीमाओं की पत्थरगढ़ी करवाना जरूरी हो गया हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:29:47 IST
Reason: SelfAttested

4. यह कि मुझ प्रार्थी को विपक्षीगण के विरूद्व अंतिम बार प्रार्थना पत्र कारण दिनांक 16.5.25 को उत्पन्न हुआ जब मुझ प्रार्थी ने पड़ौसी सहखातेदारों विपक्षी संख्या 1 से 15 को मेरी कृषि भूमि की सभी दिशा की सीमाओं की पत्थरगढ़ी कराने में सहयोग प्रदान करने के लिये कहा तो विपक्षीगण इसके लिये तैयार नही हुए, तब उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं।

5. अंत में निवेदन किया की मुझ प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर इस आशय का आदेश फरमाया जावें कि उक्त वर्णित मुझ प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि की सभी दिशाओ की सीमा की पत्थरगढ़ी कराई जाकर स्थायी सीमाकंन कराया जावें तथा मेरी खातेदारी की कृषि भूमि पर विपक्षी संख्या 1 से 15 अथवा अन्य किसी का अवैध कब्जा एवं अवैध निर्माण पाया जावें तो मेरी कृषि भूमि से उनके खर्चे से इनके अवैध कब्जे एवं अवैध निर्माण को हटवाया जाकर मेरी कृषि भूमि का कब्जा मुझ प्रार्थी को सुपुर्द किये जाने हेतु आदेशित किया जावें।

6. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1 से 10, 12 से 15 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई। विपक्षी संख्या 16 आवश्यक औपचारिक पक्षकार होने से राजपैरोकार तहसीलदार द्वारा जवाब पेश नही करना चाहा। विपक्षी संख्या 11 को जवाब हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के पश्चात भी जवाब पेश नही करने से जवाब का अवसर बंद किया गया।

7. अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस को समायत किया तथा दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के तथ्यों पर मनन् किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुँचें है कि मौजा खरताणा पटवार हल्का खरताणा तहसील मावली जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 97 पर दर्ज आराजी नम्बर 1540 रकबा 0.1457 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी के नाम खातेदारी अधिकार से दर्ज है। प्रार्थी अपनी भूमि के चारो और पक्की बाउण्ड्रीवाल बनाना चाहता है। ऐसे मे मौके पर विवाद नही हो इसलिए अपनी भूमि की पत्थरगड़ी करवाना चाहता है। प्रार्थी केवल मात्र प्रकरण अपनी स्वयं की खातेदारी भूमि की पत्थरगडी करवाने हेतु प्रस्तुत किया है किसी प्रकार की घोषणा नही चाही गई है। उक्त भूमि का सीमाकंन कर पत्थरगडी कर दी जाती है तो प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य सीमा संबंधी विवाद नहीं रहेगा। इसलिये प्रार्थी को अपनी सहखातेदारी हक की आराजियात की पत्थरगड़ी कराने का पूर्ण अधिकार है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

8. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर पत्थरगड़ी कराने बाबत 1000/– रूपये शुल्क पर तहसीलदार मावली को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौजा खरताणा पटवार हल्का खरताणा तहसील मावली जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 97 पर दर्ज आराजी नम्बर 1540 रकबा 0.1457 हैक्टेयर भूमि की चारो दिशाओं का पुख्ता सीमांकन

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Punadia
Date: 2025.12.05 11:29:47 IST
Reason: SelfAttested

किया जाकर पत्थरगड़ी की जावे। पत्थरगड़ी करने से पूर्व प्रार्थी, विपक्षीगण/ पड़ौसी खातेदारो को सूचना पत्र जारी किये जावे। यथासंभव पत्थरगडी प्रार्थी, विपक्षीगण/ पड़ौसी खातेदारो की उपस्थिति में की जावे। साथ ही उभय पक्षो को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में केवल मात्र सीमांकन कर पत्थरगडी की जानी है। उक्त आदेश केवल मात्र पत्थरगड़ी किये जाने का दिया गया है। उक्त निर्णय के संदर्भ में एक दूसरे को कब्जे से बेदखल करने का प्रयास नही करें। उभय पक्ष कब्जा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है। फीस कमिश्नर प्रार्थी मौके पर अदा करें।

9. तहसीलदार मावली को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।
10. निर्णय सरे ईजलास में सुनाया गया ।

(रमेश सीरवी पुनाडिया) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी मावली
जिला उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:29:47 IST
Reason: SelfAttested